सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2023/115 दर्ज दिनांक : 02.08.2023

1. स्व. रंगपाल पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
   1/1 भंवर सिंह पुत्र श्री रंगपालसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. गिरधारी सिंह पुत्र खुमा जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. रूकम सिंह पुत्र खुमा जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजेश कंवर पत्नि गोविन्द सिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. सुरेश सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. चतर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री हनुमानसिंह राठौड़
प्रतिवादी एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 23.02.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 अन्तर्गत धारा—88, 188 वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 666 / 164 / 5.0586 हैक्ट. रोही मौजा कोटवाद ताल पटवार हल्का कोटवाद ताल भू. अभि. नि. क्षेत्र खींवासर तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी वादगत कृषि भूमि खरीद किये जाने के पश्चात से वादी काश्त करता चला आ रहा है। जिस पर वादी का कब्जा, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत 2071—2074 संलग्न दावा हाजा की जा रही है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का खेत खसरा संख्या 165 वादी की कृषि भूमि से आगे पूर्व में स्थित है तथा उसके आगे प्रतिवादीगण संख्या 05 को खसरा संख्या 166 स्थित है प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 के खेत खसरा संख्या 166 में से गुजरने वाले कटानी रास्ते बिन्दु संख्या ए ता बी आवागमन के हेतु सदामत से काम में लिया जाता रहा है जिस रास्ते का उपयोग उपभोग प्रतिवादीगण द्वारा आवागमन के लिए काम में लिया जाता रहा है वर्तमान में चालु है किन्तु प्रतिवादीगण संख्या जो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है तथा वादी जो अपनी मजदूरी करने के लिए बाहर आता जाता रहता है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 ने वादी की खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 666 / 164 में से संलग्न नजरी नक्शा के बिन्दु संख्या सी, डी तथा ई कायम करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वादी की पूरी कृषि भूमि को अनुपयोगी बनाये जाने प्रयास कर रहे है प्रतिवादीगण द्वारा वादी की कृषि भूमि के बीचों बीच नया रास्ता कायम करने पर आमदा है।
3. वादी अपने काम काज के चलते अक्षर बाहर रहता है तथा कृषि काश्त के समय पर ही वादगत कृषि भूमि में काश्त करने के लिए आता है तथा वादी काफी सभ्य एवं सहनशील तथा मुकाबलें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 काफी कमजोर है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 वादी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर वादी के खेत खसरा नं. 666 / 164 के बीचों—बीच नया रास्ता डालने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वादी की काफी कृषि भूमि रास्ते में जाती है एवं वादी की शेष कृषि भूमि भी अनुपयोगी हो जायेगी जबकि प्रतिवादीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए प्रतिवादीगण संख्या 05 खेत खसरा संख्या 166 में से गुजरने वाले कटानी रास्ते से बिन्दु संख्या ए से बी अन्य रास्ता विद्यमान भी है इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 द्वारा डाले जा रहे नये रास्ते से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर हो रहा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 वादी की कृषि भूमि में से नया रास्ता कायम करने पर आमदा है।
4. वादी अपने काम काज के चलते अक्षर बाहर रहता है तथा कृषि काश्त के समय पर ही वादगत कृषि भूमि में काश्त करने के लिए आता है तथा वादी काफी सभ्य एवं सहनशील तथा मुकाबलें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 वादी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर वादी के खेत खसरा नं. 666 / 164 [illegible] का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 [illegible] तहसीलदार चूरू को प्रार्थना—पत्र दिये जाते है तथा वादी क[illegible] कि सारा प्रशासन हमारे कब्जे है जबकि कानूनन [illegible] में से रास्ता कायम करवाने के लिए विधिवंत रूप से खातेदार की सहमति प्राप्त क[illegible] आवयश्यक है तथा रास्ते की भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

लिए मुआवजे का भुगतान करना भी आवश्यक है यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 का उक्त मनसुबा सफल हो जाता है तो वादी को अपने खातेदारी अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादी को अपूर्तिय क्षति होगी जिसकी धन के रूप में प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है तथा दीवानी एवं फौजदारी मुकदमात भी बढेंगे। जिस कारण वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

5. वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कई बार कहा एवं कहलवाया कि वे वादगत कृषि भूमि में वादी के स्वामित्व व कब्जा, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें ना ही वादी के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के बीचों बीच नया रास्ता कायम करने का प्रयास ना करें एवं ना ही ऐसा कोई कार्य उपकार्य करें जिससे वादी के जायज खातेदारी अधिकार एवं जायज उपयोग उपभोग के अधिकार से किसी प्रकार से वंचित होना पड़े किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 ने दिनांक 15.07.2023 को ऐसा करने से बमुकाम कोटवादताल में साफ इंकार कर दिया जिस कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने अधिकारों की रक्षार्थ न्यायालय के समक्ष कानूनी चाराजोई करें यही तारीख मुखास्मत दावा है।

6. तहसीलदार चूरू को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है, राज्य सरकार के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे उसके हितों पर विपरित प्रभाव पड़े। इसलिए बिना दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. विवादित कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रोही कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू में स्थित होने से न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 को जरिये चिरस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 666/164 के बीचों–बीच संलग्न नजरी नक्शा के बिन्दु संख्या सी, डी तथा ई रास्ता कायम करने का प्रयास न करें एवं ना ही वादी के खातेदारी कब्जा एवं काश्त, उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा नहीं डाले ना डलवाये ना ही ऐसा कोई कार्य या उपकार्य करे जिससे वादी के हितों के खिलाफ हो।

8. वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को विधिवत तामिल बाद भी उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार चूरू औपचारिक पक्षकार बनाया जाने के कारण तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी भंवरसिंह पुत्र स्व. रंगपालसिंह ने उपस्थित आकर साक्ष्य शपथ–पत्र किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दावे के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 जमाबन्दी खसरा संख्या 666/164 जो प्रदर्श 1 है। प्रमाणित नकल नक्शा खसरा संख्या 666/164 जो प्रदर्श 2 है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 जमाबन्दी खसरा संख्या 165 जो प्रदर्श 3 है। प्रमाणित नकल नक्शा खसरा संख्या 165 जो प्रदर्श 4 है। वादी कोई अन्य [illegible] नहीं करना चाहते का कथन करने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। साक्ष्य [illegible] आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर स[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

9. अधिवक्ता वादी ने बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 05 को जरिये चिरस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 666 / 164 के बीचों–बीच संलग्न नजरी नक्शा के बिन्दु संख्या सी, डी तथा ई रास्ता कायम करने का प्रयास न करें एवं ना ही वादी के खातेदारी कब्जा एवं काश्त, उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा नहीं डाले ना डलवाये ना ही ऐसा कोई कार्य या उपकार्य करे जिससे वादी के हितों के खिलाफ हो।

10. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु दायर किया गया है। वादी का कथन है कि वह खसरा संख्या 666 / 164 रकबा 5.0586 हैक्टेयर, रोही मौजा कोटवाद ताल, पटवार हल्का कोटवाद ताल, तहसील एवं जिला चूरू स्थित कृषि भूमि का विधिवत खरीददार एवं खातेदार है तथा उक्त भूमि पर उसका वैध कब्जा, उपयोग एवं उपभोग चला आ रहा है। इस संबंध में जमाबंदी संवत् 2071–2074 एवं नक्शा खसरा प्रस्तुत किए गए। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा संख्या 165 तथा प्रतिवादी संख्या 5 की भूमि खसरा संख्या 166 स्थित है। प्रतिवादीगण पूर्व से खसरा संख्या 166 में से बिन्दु A से B तक कटानी रास्ते का उपयोग करते रहे हैं। तथापि प्रतिवादीगण वादी की भूमि खसरा संख्या 666 / 164 के मध्य भाग (बिन्दु C, D, E) से नया रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वादी ने यह भी निवेदन किया कि उक्त कार्यवाही से उसकी कृषि भूमि का उपयोग बाधित होगा तथा भूमि अनुपयोगी हो जाएगी। वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया, किन्तु दिनांक 15.07.2023 को प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 6 (राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार) औपचारिक पक्षकार है।वादी ने शपथ–पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्शित किएः प्रदर्श–1: प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत् 2071–2074 (खसरा 666 / 164) प्रदर्श–2: प्रमाणित नकल नक्शा खसरा 666 / 164 प्रदर्श–3: प्रमाणित नकल जमाबंदी (खसरा 165) प्रदर्श–4: प्रमाणित नकल नक्शा खसरा 165 प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि वादी उक्त भूमि का खातेदार है एवं कब्जे में है। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण हेतु खसरा संख्या 166 में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी खातेदारी भूमि में से रास्ता स्थापित करने हेतु विधिवत प्रक्रिया अपनाना एवं आवश्यक मुआवजा देना अनिवार्य है। बिना विधिक प्रक्रिया के किसी खातेदार की भूमि में हस्तक्षेप करना अवैध है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि के मध्य से नया रास्ता स्थापित करने का प्रयास वादी के खातेदारी अधिकारों का अतिक्रमण है। अतः

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है एवं यह आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या [illegible] द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी कृ[illegible] संख्या 666 / 164, रोही मौजा कोटवाद ताल, [illegible] संलग्न नक्शे में दर्शित बिन्दु C, D एवं [illegible] स्थापित न करें। प्रतिवादीगण वादी के कब्जा, काश्त, उपयोग एवं उपभोग [illegible] किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

करें तथा न ही ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादी के खातेदारी अधिकार प्रभावित हों।

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह प्रारम्भिक निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.02.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2023 / 115 दर्ज दिनांक : 02.08.2023

1. स्व. रंगपाल पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.) 1 / 1 भंवर सिंह पुत्र श्री रंगपालसिंह जाति राजपूत निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. गिरधारी सिंह पुत्र खुमा जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. रूकम सिंह पुत्र खुमा जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजेश कंवर पत्नि गोविन्द सिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तह. व जिला चूरू (राज.)
4. सुरेश सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. चतर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति दरोगा निवासी कोटवाद ताल तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री हनुमानसिंह राठौड़
प्रतिवादी एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा– 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाता है एवं यह आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को चिरस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 666 / 164, रोही मौजा कोटवाद ताल, तहसील एवं जिला चूरू के मध्य से संलग्न नक्शे में दर्शित बिन्दु C, D एवं E के बीच नया रास्ता स्थापित न करें। प्रतिवादीगण वादी के कब्जा, काश्त, उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा न ही ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादी के खातेदारी अधिकार प्रभावित हों।

यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 23.02.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)